प्रकीर्ण वाद संख्या २३८/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ४५१/२०२०)
मुलायम सिंह आदि बनाम जवाहर आदि
१८.१२.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण मुलायम सिंह, शैलेन्द्र सिंह, दीपक कुमार व श्रीमती अवधरानी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को लोक अदालत में पारित निर्णय/आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा ₹ ५,००,००० प्रतिकर धनराशि न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक के खाते में जमा कर दी गयी है। न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गयी है न ही कोई स्थगन आदेश है। अतः प्रार्थीगण ने याचना की है कि न्यायाधिकरण के आदेशानुसार उन्हें धनराशि दिलाए जाने की कृपा की जाए। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी मुलायम सिंह का शपथपत्र, अपने-अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं. ४५१/२०१८ मुलायम सिंह आदि बनाम जवाहर आदि, प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रवलियों व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थी मुलायम सिंह ने अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया गया है कि न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गयी है न ही कोई स्थगन आदेश है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को ई लोक अदालत में सुलहनामा के आधार पर ₹ ५,००,००० हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिस प्रतिकर धनराशि में से याचीगण सं. १ लगायत ४ को क्रमशः ४५, २०, २० व १५ प्रतिशत धनराशि प्राप्त होनी है तथा प्रत्येक याचीगण को प्राप्त होने वाली धनराशि में से २५-२५ प्रतिशत धनराशि आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए उन्हें अपने-अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त होनी है तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत धनराशि की ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जानी है। कार्यालय आख्या के अनुसार प्रार्थनापत्र एवं शपथपत्र में उल्लिखित विवरण के अनुसार पी.एन.बी. झोकनबाग झाँसी में ₹ **५,००,०००** जमा होने का विवरण है। प्रार्थीगण ने अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण प्रकरण में जमाशुदा उपरोक्त धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी. पी. सं. ४५१/२०१८ (प्रकीर्ण वाद सं. २३८/२०२० मुलाय सिंह आदि बनाम जवाहर लाल आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मय अर्जित ब्याज को प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicat/ petitioner	**Amount in ₹**	**+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount**	**Mode of Disbursment**	**Bank Account Number**	**Bank**	**IFSC Code**
1. Mulayam Singh	168750	34	Annuity for 3 Years	___	Any Nationalized Bank	____
1. Mulayam Singh	56250	11	Elect. Mode RTGS/NEFT	77330100014 695	Bank 0f Baroda Kacheri Churaha jhansi	BARBO VJJHAN
2. Shailendra Singh	75000	15	Annuity for 3 Years	___	Any Nationalized Bank	____
2. Shailendra Singh	25000	5	Elect. Mode RTGS/NEFT	77330100014 696	Bank 0f Baroda Kacheri Churaha jhansi	BARBO VJJHAN
3. Deepak	75000	15	Annuity for 3 Years	___	Any Nationalized Bank	____
3. Deepak	25000	5	Elect. Mode RTGS/NEFT	77330100014 696	Bank 0f Baroda Kacheri Churaha jhansi	BARBO VJJHAN
4. Smt. Awadhrani	56250	11	Annuity for 3 Years	___	Any Nationalized Bank	____
4. Smt. Awadhrani	18750	4	Elect. Mode RTGS/NEFT	77330100014 695	Bank 0f Baroda Kacheri Churaha jhansi	BARBO VJJHAN
Total	**500000**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.23 16:36:58 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI